The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

H. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ 10, 1933

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

सा.का.नि. 497(अ). -- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदुद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-III को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध, दिनांक 30 जून, 2011 से पेरू गणराज्य पर लागू होंगे।

[सं. टी. 413/14/2011]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोन्सुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2011

G.S.R. 497(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Indian Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provision of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Republic of Peru with effect from 30th June, 2011.

[No. T. 413/14/2011]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)